

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 678 रा० 2019

अनवान :-

1. मोहम्मद अली पुत्र भोलुखां जाति लखारा मुसलमान निवारी मन्दरपुरा तहरील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहरीलदार राजरव नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 02/12/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 153/152 की कुल 38.3580 हैक्टर में से 1078-1/8 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज है

उक्त भूमि में वादी का नाम पप्पूखां वल्द भोलुखां दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम मोहम्मद अली पुत्र भोलुखां है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम मोहम्मद अली पुत्र भोलुखां है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र, भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का नाम मोहम्मद अली पुत्र भोलुखां दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम पप्पूखां वल्द भोलूखां दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केरीसी, खाद बीज का ऋण, मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नहीं है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है अपने कथनों के सम्बन्ध में सरपंच ग्राम पंचायत मन्दरपुरा का प्रमाण पत्र भी पेश किया है।


अतः वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर पप्पूखां पुत्र भोलूखां के स्थान पर मोहम्मद अली पुत्र भोलुखां संशोधन करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से परोकार राज उपस्थित होकर जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे जबाब शामिल मिलस किया गया। उभयपक्षों की बहस सुनी।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 153/152 की कुल 38.3580 हैक्टर में से 1078-1/8 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज है

उक्त भूमि में वादी का नाम पप्पूखां वल्द भोलुखां दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम मोहम्मद अली पुत्र भोलुखां है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम मोहम्मद अली पुत्र भोलुखां है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र, भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का नाम मोहम्मद अली पुत्र भोलुखां दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम पप्पूखां वल्द भोलूखां दर्ज किया गया है जो गलत है।

  
उपखण्ड अधिकारी

नोहर

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली किरसी, खाद बीज का ऋण, मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नहीं है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है अपने कथनों के सम्बन्ध में सरपंच ग्राम पंचायत मन्दरपुरा का प्रमाण पत्र भी पेश किया है।

पैरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार की रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 153/152 की कुल 38.3580 हैक्टर में से 1078-1/8 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज है हैजिरा में वादी का नाम पप्पूखा पुत्र भोलुखा दर्ज है।

वादी का कथन है कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय मोहम्मद अली पुत्र भोलुखा के स्थान पर पप्पूखा पुत्र भोलूखा दर्ज किया गया है राही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते हैं।


वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, दस्तावेजात सभी में वादी का नाम मैना पति स्व बलवन्त दर्ज है। वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से वादी का नाम मोहम्मद अली होना प्रतीत होता है सरपंच ग्राम पंचायत मन्दपुरा के अनुसार भी वादी का नाम मोहम्मद अली होना प्रतीत होता है।

वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी के नामों में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है साथ ही यदि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हाजीरी नहीं होती है बल्कि राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र/सरपंच ग्राम पंचायत मन्दरपुरा के प्रमाण पत्र/पैरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज पेश होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूत एवं सरपंच ग्राम पंचायत मन्दरपुरा के प्रमाण पत्र तथा पैरोकार राज को किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 153/152 की कुल 38.3580 हैक्टर में से 1078-1/8 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज है में वादी का नाम पप्पूखा पुत्र भोलूखा अंकित है के स्थान पर मोहम्मद अली उर्फ पप्पूखा पुत्र भोलुखा संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी अनुसार पर्वा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तर्तीय तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02/12/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर (हनुमानगढ़)  
नोहर

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवाणी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- सुश्री श्वेता कोचर ( आर.ए.एस )

अनवान :-

1. मोहम्मद अली पुत्र भोलूखां जाति लखारा मुसलमान निवारी मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

- 1 राजस्थान राज्य जारिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 678 सन 2020 निर्णय दिनांक-02/12/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 153/152 की कुल 383580 हैक् में से 1078-1/8 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज है में वादी का नाम पप्पूखां पुत्र भोलूखां अंकित है के स्थान पर मोहम्मद अली उर्फ पप्पूखां पुत्र भोलूखां संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/12/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर ( हनुमानगढ )